न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2016 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना मंगरोप जिला भीलवाडा –प्रार्थी	बनाम	1. संजय तिवाडी उचित मूल्य दुकान सेन्टर सुवाणा व वैकल्पिक व्यवस्था सेन्टर भग्गा का खेडा ग्राम पंचायत पीपली तहसील भीलवाडा ग्रामीण –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 28.04.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का दिनांक 14.09.2016 को विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 28.06.2016 को पुलिस थाना मंगरोप में संजय तिवाडी उचित मूल्य दुकान सेन्टर सुवाणा व वैकल्पिक व्यवस्था सेन्टर भग्गा का खेडा ग्राम पंचायत पीपली तहसील भीलवाडा ग्रामीण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रवि जाधव पिता श्री शिवाजी राव जाधव निवासी आर –107 विजय सिंह पथिक नगर भीलवाडा तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा ग्रामीण के द्वारा दर्ज करायी गयी जिसके अनुसंधान के क्रम में प्रार्थी द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी –

1. गेहूँ के 243 कटटे भरे हुए जो प्रति कटटा वजन 50 किलोग्राम के हिसाब से कुल 121.50 क्विंटल गेहूँ पाया गया ।
2. चीनी – लेवी चीनी एक कटटे में लूज 19 किलोग्राम व 5 कटटों में पूरी भरी हुयी पैक प्रति कटटा 50 किलोग्राम के हिसाब से 250 किलोग्राम जो कुल चीनी 269 किलोग्राम पायी गयी ।
3. केरोसीन – केरोसीन के 12 ड्रम खाली तथा एक कटे हुए ड्रम में 50 लीटर करीब केरोसीन पाया गया ।

उक्त जब्तसुदा माल को श्री रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा ग्रामीण की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भोली राशन डीलर श्री राजुलाल पिता सोहनलाल खटीक निवासी मंगरोप को सुपुर्द की गयी ।

इस प्रकार उल्लेखित आरोपी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः निवेदन हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा माल को राजसात करने का आदेश फरमावें । चूंकि प्रकरण में अन्तिम

निस्तारण में समय लगने से गेहूँ के खराब होने की संभावना हैं , अतः अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.09.2016 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। बावजूद सूचना के विपक्षी अनुपस्थित है एवं विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि आरोपी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः निवेदन हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा माल को राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि प्रकरण में अन्तिम निस्तारण में समय लगने से गेहूँ के खराब होने की संभावना हैं , अतः अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन सामग्री फर्द जब्ती, राशन सामग्री फर्द सुपुर्दगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.06.2016 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया हैं कि दिनांक 28.06.2016 को पुलिस थाना मंगरोप में संजय तिवाडी उचित मूल्य दुकान सेन्टर सुवाणा व वैकल्पिक व्यवस्था सेन्टर भग्गा का खेडा ग्राम पंचायत पीपली तहसील भीलवाडा ग्रामीण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रवि जाधव पिता श्री शिवाजी राव जाधव निवासी आर–107 विजय सिंह पथिक नगर भीलवाडा तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा ग्रामीण के द्वारा दर्ज करायी गयी जिसके अनुसंधान के कम में प्रार्थी द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी –

1. गेहूँ के 243 कटटे भरे हुए जो प्रति कटटा वजन 50 किलोग्राम के हिसाब से कुल 121.50 क्विंटल गेहूँ पाया गया ।
2. चीनी – लेवी चीनी एक कटटे में लूज 19 किलोग्राम व 5 कटटों में पूरी भरी हुयी पैक प्रति कटटा 50 किलोग्राम के हिसाब से 250 किलोग्राम जो कुल चीनी 269 किलोग्राम पायी गयी ।
3. केरोसीन – केरोसीन के 12 ड्रम खाली तथा एक कटे हुए ड्रम में 50 लीटर करीब केरोसीन पाया गया ।

उक्त जब्तसुदा माल को श्री रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा ग्रामीण की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भोली राशन डीलर श्री राजुलाल पिता सोहनलाल खटीक निवासी मंगरोप को सुपुर्द की गयी । प्रार्थी ने उक्त जब्तसुदा माल का राजसात करने की प्रार्थना की हैं ।

<u>आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए इस प्रकार है– "</u>

(1) जहां कोई (आवश्यक वस्तु) उसके संबंध में धारा 3 के अधीन किये गये आदेश के

अनुसरण में (अभिगृहित की जाती है) वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना, उस जिले या प्रेसीडेन्सी नगर के , जिसमें ऐसी (आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता हैं) कलक्टर को की जायेगी और चाहे ऐसे आदेश के उल्लघंन के लिये अभियोजन संस्थित किया जाता हैं या नहीं , (यदि कलक्टर ऐसा करना समीचीन समझता हैं तो वह इस प्रकार अभिग्रहीत आवश्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण के लिये पेश किये जाने का निर्देश दे सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता हैं कि) तो वह (क) ऐसे अभिगृहीत की गई आवश्यक वस्तु के , (ख) जिस पैकेज , आवेष्टक या पात्र में ऐसी आवश्यक वस्तु पायी जावे उसके और (ग) ऐसी आवश्यक वस्तु को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, गाडी, जलयान या प्रवहण के , अधिग्रहण का आदेश कर सकेगा ।

प्रवर्तन अधिकारी श्री रवि जाधव भीलवाडा ने दिनांक 28.06.2016 को उचित मूल्य दुकान वैकल्पिक व्यवस्था सेंटर भग्गा का खेडा में ग्रामवासियों की उपस्थिति में राशन की दुक़ान से राशन सामग्री 121.50 क्विटंल गेहूँ , 269 किलोग्राम चीनी एवं केरोसीन के 12 ड्रम खाली व एक कटे ड्रम में 50 लीटर केरोसीन जब्त किया गया । इस प्रकार विपक्षी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किया गया 121.50 क्विटंल गेहूँ , 269 किलोग्राम चीनी एवं केरोसीन के 12 ड्रम खाली व एक कटे ड्रम में 50 लीटर केरोसीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एंव जब्तशुदा माल के संबंध में जब्तशुदा 121.50 क्विटंल गेहूँ , 269 किलोग्राम चीनी एवं केरोसीन के 12 ड्रम खाली व एक कटे ड्रम में 50 लीटर केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

28/4/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)